अनुक्रमणिका

1 .	प्राचार्य की कलम से	1
2 .	संक्षिप्त परिचय	2
3 .	महाविद्यालय का प्रतीक चिन्ह एवं ध्येय वाक्य	2
4 .	प्रवेश प्रक्रिया : एक दृष्टि में (सत्र 2022-23) एवं महाविद्यालय में संचालित विषयों की सूची	3
5 .	अन्य महत्वपूर्ण नियम एवं ड्रेस कोड	4
6 .	विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश के नियम	5
7 .	संकायवार प्रवेश नियम	12
8 .	ऑर्डिनेन्स (NEP)	17
9 .	ऑर्डिनेन्स (स्नातक)	31
10.	ऑर्डिनेन्स (स्नातकोत्तर)	36
11.	प्रवेश सम्बन्धी निर्देश	38
12.	रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम	39
13.	पुस्तकालय के नियम/निर्देश	39
14.	शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ	40
15.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एवं उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	41
16.	महाविद्यालय परिवार	42
17.	राज्य गीत	43

प्राचार्य की कलम से

सम्माननीय अभिभावक वृन्द एवं प्रिय प्रवेशार्थी छात्र/छात्राओं, शैक्षिक सत्र 2022-23 में आपका हार्दिक अभिनन्दन।

कुमाँऊ के विशिष्ट ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के क्षेत्र जिला चम्पावत के मुख्यालय में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत की नव सत्रारम्भ पर जारी महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका में उच्च शिक्षा के इस केन्द्र के प्रवेशार्थियों हेतु वांछित सूचनायें प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1996 में हुई थी। महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों ही स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू है। महाविद्यालय में नए प्रवेशार्थियों के लिए वर्त्तमान सत्र 2022-23 से NEP 2020 लागू है। नई शिक्षा नीति में रोजगारपरकता की अभिवृद्धि के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। छात्र-छात्राओं की जानकारी के लिए प्रवेश संबधी नियमों को विवरणिका में शामिल किया गया है।

महाविद्यालय में कैरियर काउंसिलिंग सेल गठित है। जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापकों के अतिरिक्त विभिन्न परामर्शदाताओं द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। महाविद्यालय में क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, सांस्कृतिक कार्यक्रम व विभिन्न विभागीय परिषदों द्वारा विद्यार्थी के सर्वांगीर्ण विकास के लिए पठन-पाठन के साथ ही शिक्षणेतर गतिविधियाँ भी संचालित की जाती है। सत्र 2021-22 में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने एथलेटिक्स, फुटबॉल (पुरुष), हॉकी एवं फुटबॉल (महिला) में विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित अर्न्तगत महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

महाविद्यालय में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) व उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) की डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी अपने अध्ययन के साथ ही दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपनी रोजगारपरकता में अभिवृद्धि कर सकते हैं। नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त अन्य इच्छुक व्यक्ति भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।

मुझे आशा है कि नवीन शिक्षा सत्र में छात्र-छात्राओं, अभिभावकों व सभी हितधारकों का वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आत्मानुशासन की भावना के आलोक में महाविद्यालय की संदृष्टि एवं ध्येय की प्राप्ति की दिशा में पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। नये सत्र की स्वर्णिम सफलता हेतु मैं आपको अपनी एवं महाविद्यालयों परिवार की ओर से शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

दिनांक :- 27 अगस्त 2022
स्थान :- चम्पावत

(डॉ0 प्रणीता नन्द)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चम्पावत

संक्षिप्त परिचय

उत्तराखण्ड का जनपद चम्पावत पौराणिक काल से ही विशिष्ट ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहा है। स्कन्द पुराण के मानस खण्ड में वर्णन से राष्ट्रीय स्तर पर एवं जिम कार्बेट की पुस्तक ''मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ'' के माध्यम से चम्पावत की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रही है। पं0 बद्री दत्त पाण्डेय की पुस्तक ''कुमाऊँ का इतिहास'' के अध्ययन से चम्पावत का अधिकांश ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

चन्द राजकुमारी चम्पावती के नाम से ही पहले चम्पावती व वर्तमान में यह क्षेत्र चम्पावत नाम से जाना जाता है। न्याय के देवता 'गोरल' मूल स्थली चम्पावत में, 'सप्तेश्वर' अर्थात् सात मन्दिरों का समूह जिसमें बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रान्तेश्वर, ताड़केश्वर, मल्लाड़ेश्वर, ऋषेश्वर एवं मानेश्वर सम्मिलित हैं तथा प्राचीन काल से वर्तमान तक अनुष्ठान एवं उपासना के केन्द्र हैं।

सन् 1996 में क्षेत्र की उच्च शिक्षा की महती आवश्यकता के दृष्टिगत तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महाविद्यालय कला संकाय के छः विषयों यथा - हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं इतिहास के साथ एक किराये के भवन में प्रारम्भ किया गया। 15 सितम्बर 1997 में चम्पावत को पृथक जिला घोषित किये जाने के उपरान्त जिला मुख्यालय विकास की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ तथा अल्प समय में ही 5 सितम्बर 2001 (शिक्षक दिवस) के दिन से राकड़ी फुलारा गाँव में स्थित नवनिर्मित भवनों से महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। सत्र 2001-02 से स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों की मान्यता शासन से एवं सम्बद्धता कुमाऊँ विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई तथा सत्र 2009-10 से कला संकाय के अतिरिक्त विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अध्ययन की सुविधा भी उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान की गई है। सत्र 2014-15 से कला संकाय में भूगोल एवं गृहविज्ञान नये विषय संचालित किये जा रहे हैं। चम्पावत क्षेत्र के तत्कालीन विधायक श्री कैलाश गहतोड़ी जी के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, इतिहास व समाजशास्त्र विषयों में भी पठन-पाठन प्रारम्भ हो गया है। वर्तमान में 19890 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले महाविद्यालय में पाँच दुमंजिला भवन क्रमशः प्रशासनिक भवन, कला संकाय, विज्ञान संकाय प्रथम, विज्ञान संकाय द्वितीय एवं वाणिज्य संकाय के अतिरिक्त गृह विज्ञान भवन, प्राचार्य आवास, चौकीदार आवास एवं शौचालय आदि कई अन्य लघु निर्माण भी बनकर तैयार है तथा महाविद्यालय में छात्र संख्या में प्रतिवर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

प्रतीक चिन्ह एवं ध्येय वाक्य

महाविद्यालय में सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों एवं अन्य समस्त महत्चपूर्ण जानकारियाँ इस विवरणिका के आगामी पृष्ठों में समाहित किये जाने का प्रयास किया गया है।

सन् 1999 में महाविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का सृजन किया गया। प्रतीक चिन्ह द्वारा चम्पावत की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति ही नहीं अपितु महाविद्यालय के उद्देश्य, भविष्य की अपार सम्भावनाओं एवं क्षमताओं का भी ज्ञान होता है।

प्रतीक चिन्ह में मुख्य रूप से नेपथ्य में पंचाचूली पर्वत श्रृंखला तथा अग्र भाग में दायीं ओर देवदार वृक्ष एवं बायीं ओर कूर्म सम्मिलित किये गये हैं। महाविद्यालय समुद्र तट से लगभग 5640 फीट ऊँचाई पर स्थित है। परिसर में उत्तर दिशा में दृश्य पंचाचूली पर्वत शिखर जो विद्यार्थियों को शिखर सरीखी ऊँचाईयाँ छूने की प्रेरणा एवं कर्तव्य पथ पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहना सिखाता है। देवदार का वृक्ष पर्यावरण की अनुकूलता, अपार वन सम्पदा एवं समृद्धि तथा हरियाली का प्रतीक है एवं परिसर की पूर्व दिशा की ओर दृष्टिगोचर है। महाविद्यालय परिसर से दक्षिण दिशा में कूर्म पर्वत शिखर (क्रान्तेश्वर) पर भगवान विष्णु के 'कूर्म अवतार' के प्रतीक रूप में 'कूर्म' को सम्मिलित किया गया है। कूर्मावतार के कारण इसे एवं समीप के क्षेत्र को कूर्मांचल कहा जाता है।

श्रीमद्भागवतगीता का द्वितीय अध्याय 'सांख्य योग' अथवा 'ज्ञान योग' से सम्बन्धित है। Yoga of Knowledge के द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं - 'समत्वं योग उच्यते' अर्थात् (Eveness of temper is called yog) सफलता एवं असफलता दोनों में समभाव रहना ही योग है। ध्येय वाक्य 'योगः कर्मसु कौशलम्' (Skill in action is lies in yoga) श्रीमद्भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक से उद्धृत है। गीता में 'कर्म' को योग कहा गया है। जो भी कर्म किया जाये, उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके मूल में समभाव रहने का नाम ही समत्व है और यह 'समत्व रूप योग' ही कर्मो में कुशलता है। इस प्रकार महाविद्यालय का ध्येय वाक्य - 'योगः कर्मसु कौशलम्' विद्यार्थियों को अपने सम्पूर्ण कौशल के साथ कर्म (ज्ञानार्जन) करने की प्रेरणा प्रदान करता है।

प्रवेश प्रक्रिया : एक दृष्टि में (सत्र 2022-23)

प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरण :

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु www.ssju.ac.in पर ऑनलाईन फार्म भरें।
2. महाविद्यालय कार्यालय से प्रवेश आवेदन पत्र/विवरणिका क्रय करें।
3. प्रवेश आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरें, निर्धारित स्थानों पर फोटो चिपकायें। आवेदन पत्रें के सभी पृष्ठों एवं संलग्नकों को टैग करें।
4. निर्धारित आवेदन पत्र सम्बन्धित कक्षा के प्रवेश काउन्टर पर प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करें।
5. प्रवेश स्वीकार होने पर परिचय पत्र कार्ड भरकर/मुख्य अनुशासक के हस्ताक्षर करवायें तथा शुल्क जमा करने हेतु लिपिक से शुल्क फार्म प्राप्त करें तथा IDBI बैंक में शुल्क जमा करायें।
6. अनु0 जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अपना बैंक खाता संख्या एवं बैंक कोड (IFSC) अनिवार्यतः आवेदन पत्र में अंकित करें।
7. महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश उपलब्ध विषयों में अनुमन्य सीटों पर श्रेष्ठता क्रम में उपलब्ध होंगे।

वांछित संलग्नकों की सूची :

1. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (अंतिम शिक्षण संस्था से निर्गत)।
2. चरित्र प्रमाण-पत्र (अंतिम शिक्षण संस्था से निर्गत)।
3. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र तथा अंकतालिका की सत्य प्रति।
4. इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका की सत्य प्रति।
5. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की चार प्रतियाँ।
6. प्रवजन प्रमाण पत्र (यदि अन्य विश्वविद्यालय से आये हों)।
7. नामांकन प्रपत्र।
8. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति प्रमाण-पत्र
9. एंटी रैगिंग शपथ पत्र जो विद्यार्थी एवं अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।
10. समस्त छात्र/छात्रा अपना ई-मेल अवश्य लिखेंगे। ई-मेल अपना होना चाहियें, न कि साइबर कैफे या अन्य व्यक्तियों का

नोट :- प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा, व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

महाविद्यालय में संचालित विषयों की सूची

स्नातक स्तर

1. कला संकाय - हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान।
2. विज्ञान संकाय - जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित।
3. वाणिज्य संकाय - प्रबन्धन, लेखांकन, अर्थशास्त्र एवं सन्नियम।

स्नातकोत्तर स्तर

1. कला संकाय - अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, इतिहास व समाजशास्त्र

प्रायोजित दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)
2. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू)

अन्य महत्वपूर्ण नियम

विवरणिका में विभिन्न जानकारियों एवं निर्देशों का अध्ययन कर विद्यार्थी पूर्ण-रूपेण पालन करने के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे।

1. प्रवेश शुल्क बैंक में जमा किये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें तथा प्राप्त रसीद को सम्पूर्ण सत्र हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
2. मुख्य अनुशासक द्वारा पहचान-पत्र हस्ताक्षरित किये जाने के बाद ही छात्र/छात्रा महाविद्यालय का बोनाफाइड छात्र/छात्रा माना जायेगा। नये पहचान पत्र हेतु रू0 20/- जमा करना होगा।
3. अस्थाई अथवा अनन्तिम (Provisional) प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रा का प्रवेश निर्धारित तिथि तक शर्तें पूरी न करने पर निरस्त कर दिया जायेगा।
4. परिसर में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी असामाजिक गतिविधि अथवा प्राचार्य द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा ऐसी गतिविधि में किसी छात्र / छात्रा के संलिप्त पाये जाने पर सर्वप्रथम महाविद्यालय से निष्कासित करने की कार्यवाही की जायेगी।
5. प्राचार्य अथवा मुख्य अनुशासक के द्वारा मांगे जाने पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र न दिखाने पर महाविद्यालय से बाहरी व्यक्ति माना जायेगा। अत: सभी विद्यार्थी अपना पहचान पत्र प्रतिदिन साथ रखें।
6. विद्यार्थी के द्वारा चयनित विषयों में ही परीक्षा फार्म भरना होगा।
7. महाविद्यालय के सूचना पट पर प्रसारित की जाने वाली सूचनायें नियमित रूप से नोट न करने से किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, अत: नियमित सूचना पट्ट अवश्य देखें।
8. परिसर में हथियार रखना, शराब पीना, धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन पूर्णत: प्रतिबन्धित है।
9. प्रत्येक विद्यार्थी हेतु किसी भी रूप में रैगिंग करने में शामिल होना पाये जाने पर मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत अनिवार्यत: कार्यवाही अमल में लाई जानी होगी। रैगिंग की रोकथाम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस हेतु निर्धारित शपथ पत्र प्रत्येक प्रवेशार्थी को पूरित करना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी का शपथ पत्र प्रवेशार्थी द्वारा हस्ताक्षरित तथा पिता अथवा अभिभावक के शपथ पत्र पर उनके द्वारा भी हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। प्रत्येक शपथ पत्र पर 10रू0 का नोटरी/कोर्ट फीस स्टाम्प लगाकर हस्ताक्षर करने होंगे। अत: विशेषकर वरिष्ठ छात्रों द्वारा नवीन प्रवेशार्थी को किसी भी रूप में किसी कार्य हेतु बाध्य न किया जाय तथा अपने विवेकानुसार एवं इच्छानुसार कार्य करने दिया जाना चाहिये। महाविद्यालय की स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रखें।
10. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग प्राय: वर्जित है तथा कक्षा के भीतर पूर्ण वर्जित है। परिसर में उपस्थित रहने की अवधि में मोबाइल साइलेन्ट मोड में रखें।
11. महाविद्यालय भवनों को किसी भी रूप में गंदा करना अथवा विनिरूपण करना, लिखना अथवा हानि पहुँचाना वर्जित है।
12. महाविद्यालय परिसर में यत्र-तत्र गंदगी/कूड़ा इत्यादि न फेकें तथा परिसर को स्वच्छ बनाये रखने में सहयोग करें।

महाविद्यालय का ड्रेस कोड इस प्रकार है -

छात्र - हल्की आसमानी कमीज, नीली पैंट

छात्रा - नीला कुर्ता, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित स्नातक (बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0कॉम0) पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश

प्रवेश नियम (शैक्षिणिक सत्र 2022-23 से प्रभावी)

अध्याय–1 साधारण नियम–

1–1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएगें। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1–2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाऐगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1–3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वेबसाईट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इमेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता हैं। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1–4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1–5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

1–6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1–7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित माहाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1–8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1–9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1–10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/विभाग में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1–11 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है :

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3– अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

(1)	महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता–क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1–12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days

(ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1–15 (क) स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु–

प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त–

1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्ताकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।

3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :– यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम *नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षो की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

* नोट : नौ वर्ष में स्नातक करने वालों की यह व्यस्था NEP .2020 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही लागू होगी, अन्य विद्यार्थियों के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत किए गए नियम ही लागू होंगे।

4. भविष्य में यू0जी0सी0 अथवा एन0एच0ई0क्यू0एफ0 राज्य सरकार के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा–निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

1–16 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 15 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1–17 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड–ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

1–13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)–	20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन–	20 अंक
(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
(ड़) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च) अन्तर– विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ) अन्तर–महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट– उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1–14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1–6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1–18 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1–19 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1–20 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

अर्हता निर्धारण के नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु
(शैक्षिणक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय–2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम–

2–1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद /यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उर्त्तीण छात्र/छात्रायें ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।

यदि दो अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक/मेरिट अंक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2–1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में

से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2–2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण–पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

2–3 शिक्षणेत्तर कार्य–कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2–4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2–5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता–क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2–6 (a) **For Bachelor of Science (B.Sc.) :**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Mathematics Groups :		
Group A	**Group B**	**Group C**
Mathematics	Physics	Chemistry Statistics Computer Science Information Technology Geology Military Science

Biology Groups:		
Group A	**Group B**	**Group C**
Botany	Zoology	Chemistry Forestry Information Technology Geology Milatery Science

(b) **For Bachelor of Arts (B.A.) :**

अभ्यर्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से दो प्रथक–प्रथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) को निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग–अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

Arts Group					
A	B	C	D	E	F
English Literature Kumaouni Bhasa Sanskrit Literature	Anthropology Drawing and Painting Economics Home Science Physical Education Psychology	Geography History Information Technology Military Science Music Statistics Yoga	Education Sociology	Hindi Literature Mathematics	Political Science

(c) **For Bachelor of Commerce (B.Com.) :**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organistion Management
		Business Communication

वैधानिक नियन्त्रण– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

Annexure-I

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ–पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नही लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगां/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।

4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर–

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती ..... जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर– पिता/अभिभावक

अध्यादेश (**ORDINANCE**)

बी0ए0 / बी0एस–सी0 / बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु

(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं–

1.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (**Programme**)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री यथा बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0कॉम0।

1.2 संकाय (**Faculty**)–

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.3 विषय (**Subject**)–

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (**Course/Paper**)

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्रेक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

2. मुख्य (**Major**) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर (Annexture – 1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.3 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 में चौथा माइनर इलेक्टिव विषय (Fourth Minor Elective Subject) विद्यार्थी को अपने संकाय को छोड़कर किसी भी अन्य संकाय (Other Faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

2.4 चौथा माइनर इलेक्टिव विषय / कोर्स (Fourth Minor Elective Subject) किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।

2.12.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCS इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. कौशल विकास कोर्स (**Vocational/Skill Development Courses**) (Annexure-1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर) में 3 क्रेडिट का एक–एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

4. सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) (Annexure-1)

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) करना अनिवार्य होगा।

4.2 विद्यार्थी को हर सह–पाठ्यक्रम (**Co-Curricular Course**) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

5. शोध परियोजना (**Research Project**) (Annexure-1)

6.1 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना करनी होगी।

6.2 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना (Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से भी लिया जा सकता है।

6.4 बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी तीसरे वर्ष के अंत में (छठे सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report /Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्याँकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

6.5 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण (Annexure-1)

7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

7.2 प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इर्न्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।

7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट'' के माध्यम से किये जाएगें, जिसके दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएगें।

7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उस पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि–क्रेडिट (re-credit) अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षो के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

7.5 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7.6 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Major Subject) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।

7.7 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ

2.5 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर माईनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) में परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के उपरान्त ही विषय में परिवर्तन कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

2.6 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए बी0ए0, बी0एस0–सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

2.7 माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) का चयन विद्यार्थी द्वारा अन्य संकाय से करना अनिवार्य होगा।

2.8 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है।

2.9 विद्यार्थी को उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव सम सेमेस्टर (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में करना होगा।

2.10 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें सम्बन्धित फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

2.11 विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर माइनर इलेक्टिव (Minor Elective) भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते हैं।

2.12 मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (**Open Online Course**)

2.12.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 percent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality - assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनके स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरेक्वजिट् (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

7.8 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

9. उत्तीर्ण प्रतिशत

9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

9.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project Qualifying) है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।

9.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.6 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

10. कक्षान्नोति (**Promotion**)

10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षो (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माईनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिटस उत्तीर्ण कर लिये हों।

10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नही गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

11. बैक पेपर परीक्षा

11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा कालबाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

13. SGPA एवं CGPA की गणना –

13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – $SGPA\ (Sj) = \sum(Ci \times Gi) / \sum Ci$	यहाँ पर – Ci = number of credits of the ith course in jth semester Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester
$GPA = \sum(Cj \times Sj) / \sum Cj$	यहाँ पर – Sj = SGPA of the jth semester Cj = total number of credits in the jth semester

13.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :
समतुल्य प्रतिशत = CGPA x 9.5

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का आगणन निम्नवत् किया जायेगा :

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment Max. Marks 25	External Assessment Max. Marks 75	Total Max. Marks 100	Grade	Grade Points	Grade Value**
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max marks 40	Training Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27
	Grand Total		**25**						**209**

** Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = 209 / 25 = 8.36 (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal shall be considered in all the calculations.

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25 SGPA : 8.36	CREDIT : 21 SGPA : 6.08	CREDIT : 25 SGPA : 8.90	CREDIT : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits (In all the semester till now)

Thus, CGPA = (25 x 8.36 + 21 x 6.08 + 25 x 8.90 + 21 x 7.22) / 92 = 7.73

Hence, equivalent percentage = 7.73 x 9.5 = 73.44

And the **Division** will be **First**

13.3 विद्यार्थीयों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. व्याख्या खंड / वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

ANNEXURE 1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co- Curricular	Industrial traning/ Survey/ Reserch Projrct	(Minimum Credits)	(Cummulative Minimum Credits)
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own /Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	for the year	Required for Award of Cretificate /Diploma/ Degree
1	I	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(92)
	IV	Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			Diploma in Faculty
3	V	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	(132)
	VI	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		Bachelor in Faculty
4	VII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1 (4)	52	(184) Bachelor
	VIII	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		(Research) In Faculty
5	IX	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	(232)
	X	Th-4 (5) or Th-4 (4)+ Pract-1(4)						1 (4)		Master in Faculty
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	(248) PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		Ph.D. in Subject

FACULTY OF COMMERCE & MANAGEMENT STUDIES
SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में NEP- 2020 के अर्न्तगत B.Com. कक्षाओं में सूक्ष्म कौशल विपय

MINOR VOCATIONAL SUBJECTS/COURSE

वाणिज्य संकाय की प्रवेश समितियाँ पँचम सूक्ष्म कौशल विषय (Fifth Vocational Courses) के लिए निम्नानुसार प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कौशल विषय (Vocational Course) विद्यार्थी को आबंटित कर सकती हैं।

S. NO.	Minor Vocational Course (सूक्ष्म कौशल विषय)	Semester Allotted	Credits
1.	ADVERTISEMENT MANAGEMENT	B. Com. I Semester	3
2.	FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING	B. Com. II Semester	3
3.	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	B. Com. III Semester	3
4.	ENTREPRENEURSHIP	B. Com. IV Semester	3

FACULTY OF SCIENCE
SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में NEP- 2020 के अर्न्तगत B.Sc. कक्षाओं में सूक्ष्म कौशल विपय

MINOR VOCATIONAL SUBJECTS/COURSE

विज्ञान संकाय की प्रवेश समितियाँ पँचम सूक्ष्म कौशल विषय (Fifth Vocational Courses) के लिए निम्नानुसार प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कौशल विषय (Vocational Course) विद्यार्थी को आबंटित कर सकती हैं।

S.NO.	Minor Vocational Course (सूक्ष्म कौशल विषय)	Semester Allotted	CREDITS
1.	FUNDAMENTALS OF COMPUTERS	I SEMESTER	3
2.	BUSINESS STATISTICS	II SEMESTER	3
3.	DISASTER MANAGEMENT	III SEMESTER	3
4.	DIGITAL LITERACY AND CYBER SECURITY	IV SEMESTER	3

FACULTY OF ARTS
SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में NEP- 2020 के अर्न्तगत B.A. की कक्षाओं में सूक्ष्म कौशल विपय

MINOR VOCATIONAL SUBJECTS/COURSE

कला संकाय की प्रवेश समितियाँ पँचम सूक्ष्म कौशल विषय (Fifth Vocational Courses) के लिए निम्न दिए गए विषयों में से प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कौशल विषय (Vocational Course) को उपलब्धता के आधार पर आबंटित कर सकती हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में अलग अलग कौशल विषयों का चयन करना होगा।

S. NO.	MINOR VOCATIONAL COURSE (सूक्ष्म कौशल विषय)	CREDITS
1.	DRAWING AND COLOR STUDIES	3
2.	CRITICAL THINKING AND WRITING	3
3.	LEADERSHIP AND TEAMWORK	3
4.	FUNDAMENTALS OF COMPUTER	3
5.	FIELD STUDY TECHNIQUES AND REPORT WRITING	3

SOBAN SINGH JEENA UNIVERSITY, ALMORA

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के परिसरों, सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में NEP- 2020 के अर्न्तगत B.A./B.Sc./B.Com. कक्षाओं में सह–पाठ्यचर्या का अनिवार्य चयन

CO-CURRICULAR STUDIES

B.A./B.Sc./B.Com.

S. NO.	CO-CURRICULAR COURSE	Semester Allotted
1.	COMMUNICATION SKILLS	I SEMESTER
2.	ENVIRONMENT STUDIES AND VALUE EDUCATION	II SEMESTER
3.	MANAGEMENT PARADIGMS FROM BHAGAVAD GITA	III SEMESTER
4.	VEDIC STUDIES	IV SEMESTER
5.	MEDITATION	V SEMESTER
6.	VIVEKANAND STUDIES	VI SEMESTER

ORDINANCE FOR GRADUATE SEMESTER COURSES

1. General Instructions:

1.1 In Semester system the Graduate level course shall be of six semester and each semester shall be of six months. Thus the graduate course is of three years duration in general.

1.2 Maximum duration for a candidate to qualify the graduate level semester course shall be as per UGC norms (N+2). Where N is the actual duration of the course i.e., three and a ***maximum*** 2 years' ***further*** duration ***that shall not be extended any more in any situation whatsoever, is permissible to complete the course.***

1.3 The candidate shall be awarded graduate level degree where he/she passes all the six semester examinations including all the components namely theory papers, internal assessment, practical examination and viva voce if any, within **the maximum** time-frame **as per** UGC **norms**. Provided that the candidate qualifies the paper of environmental science compulsorily as an additional paper as per the directions of the Hon'ble Supreme Court in fourth semester.

1.4 In graduate level semester system, the examinations shall be conducted at the end of each semester twice a year as below.

a. Odd Semesters – I, III & V
b. Even Semesters – II, IV & VI

1.5 The scheme of examinations **for the graduate level semester course** shall be decided and **announced** by the university.

2. Subjects and marking scheme of B.Sc. semester course:

2.1 There shall be three subjects in all **in the whole course** to be selected/ opted by the candidate for appearing in examination. Each subject consists of the following components:

A. Theory paper
   i. External Assessment
   ii. Internal Assessment
B. Practical(If any)

2.2 Allocation of marks for subjects **without** practical :

	Paper 1		Paper 2		Paper 3		Total
	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	
Subject	75	25	75	25	75	25	300

2.3 Allocation of marks for subjects with practical :

	Paper 1		Paper 2		Practical	Total
	Ext.	Int.	Ext.	Int.		
Subject	60	20	60	20	40	200

2.4 For the students of science stream opting the subject(s) of arts stream (common in both streams like Military Science, Geography, Economics etc., as per the provisions of admission rules) the aggregate total marks of arts subjects shall be adjusted in line with science subjects.

3. **Subjects and marking scheme of B.A. semester course:**

3.1 There shall be three subjects in all **in the whole course** to be selected/ opted by the candidate for appearing in examination. In addition to this, a candidate shall opt **one** additional language course of either Hindi or Sanskrit or English **in I and II Semester examinations. The three subjects to be opted by the candidate** as above shall comprise the following components

A. Theory paper
   i. External Assessment
   ii. Internal Assessment

B. Practical(If any)

3.2 Allocation of marks for subjects **without** practical :

	Paper 1		Paper 2		Total
	Ext.	Int.	Ext.	Int.	
Subject	55	20	55	20	150

3.3 Allocation of marks for subjects **with** practical:

	Paper 1		Paper 2		Practical	Total
	Ext.	Int.	Ext.	Int.		
Subject	35	15	35	15	50	150

3.4 For the Students of arts stream opting for subject of science stream (common for both streams like Mathematics, Information Technology, Statistics etc., as per the provisions of admission rules) the aggregate total marks of science subjects shall be adjusted in line with arts subjects.

4. **Papers and marking scheme of B.Com. semester course:**

4.1 There shall be four papers in each semester to be selected/ opted by the candidate for appearing in examinations comprising of the following components.

A. Theory paper
   i. External Assessment
   ii. Internal Assessment

4.2 Allocation of marks for a paper:

	Ext.	Int.	Total
Paper	75	25	100

Students can opt for Information technology as a paper in place of IV paper. Information technology paper in B.Com., shall be a paper without practical and the evaluation shall be done as theory papers of B.Com.

5. **Promotion Rules:**

5.1 Promotion from semester I to Semester II shall be automatic only when the candidate has appeared in the examinations of all theory and practical

fails in 2 subjects in any of the III, IV, V or VI semester shall have a semester back.

e. A candidate who fails in any 2 papers in a semester in case of B.Com. shall have a semester back.

5.7 If a candidate is shown absent in **internal assessment** submitted by the concerned college for any reason whatsoever, revised marks of evaluation of the internal assessment from the college concerned shall only be accepted by the University with a genuine documentary proof justifying such absence and a late fee shall be imposed on the candidate as follows:

a. Delay of less than 15 days from the date of commencement of evaluation done by the concerned college – Rs.500/-

b. Delay of more than 15 days but less than 30 days from the date of commencement of evaluation conducted by the concerned college – Rs.1000/-

Provided that no internal assessment shall be conducted in any case whatsoever beyond 30 days from the date of commencement of evaluation conducted by the concerned college.

5.8 Internal assessment marks relating to any semester shall be submitted by the college before the commencement of semester end theory examinations.

5.9 If a candidate fails to attend **practical examination(s)** (if any) for reason whatsoever, the candidate shall have to produce a genuine documentary proof justifying absence duly forwarded from the concerned college and seek permission from the competent authority of the university. A candidate permitted by the university to reappear in practical examination(s) shall be required to submit a late fees as follows:

a. Less than 30 days from the date of commencement of practical examination conducted by the concerned college – Rs.2000/- per subject.

b. From above 30 days upto 60 days from the date of commencement of practical examinations conducted by the concerned college – Rs.5000/- per subject.

Provided that no practical examination shall be allowed to be conducted in any case whatsoever beyond 60 days from the date of commencement of practical examination conducted by the concerned college.

5.10 Provision of special back examination(applicable for V and VI semester students only):

a. Students having a backlog {carry over paper(s)} in fifth semester shall be entitled to appear in special back in that subject after one month from the date of declaration of sixth semester result.

b. Students having a backlog {carry over paper(s)} in sixth semester shall be entitled to appear in special back in that

papers of that semester and has passed the papers as per details given below:

a. All theory and practical papers (if any) of any 2 subjects in case of B.Sc.
b. All theory and practical papers (if any) of any 3 subjects in case of B.A. I and II semester
c. All theory and practical papers (if any) of any 2 subjects in case of B.A. III to VI semesters.
d. Any 3 theory papers in case of B.Com.

5.2 A candidate shall be declared pass in any semester if he scores minimum 33% marks separately in all the theory(including internal assessment) and practical (if any) components of examination of all the subjects.

5.3 Candidate failing in any of the theory papers of any one subject shall be eligible to be promoted to next semester and shall have to clear the backlog (carry over paper[s]) with the next regular examination for the respective semester.

Explanation: 1. Backlog shall include carry over subject in case of B.Sc. and B.A and carry over paper in case of B.Com.

5.4 Except for semester back, the Internal and practical examination marks once allotted when he/she appeared for the first time shall remain the same and shall be carried over.

5.5 A candidate shall be given only one chance to qualify carry-over paper of a semester. If in case candidate fails to qualify the subject with the next regular examination for the respective semester, no second chance shall be permissible in any condition whatsoever. If a candidate fails to qualify in any subject (any paper in case of B.Com.) of a semester even as a carry-over subject (any paper in case of B.Com.) the candidate shall have a Semester Back in the semester to which the subject (or paper) belongs. Such Semester Back shall, however, be subject to Maximum Time-Period rule of n+2.

5.6 **Semester Back**:

1. Any candidate who has a semester back shall be required to take readmission in that semester of the following year and shall appear in all the theory, internal and practical (if any) examination of that semester.

a. If a candidate remains absent in any of the theory paper of any subject and simultaneously fails in any of the theory paper of any other subject he/she shall have a semester back.
b. A candidate clears all the theory papers of all the subjects but fails in any of the practical paper(s) he/she shall have a semester back.
c. A candidate who fails in any 2 subjects in a semester in case of B.Sc. shall have a semester back.
d. A candidate who fails in any 3 subjects either in B.A. I semester or in B.A II semester shall have a semester back. A candidate who

subject after one month from the date of declaration of sixth semester result.

c. A candidate who appears in such special back examination of a subject in case of B.Sc. or B.A. and of a paper in case of B.Com. shall thereby exhaust his/her entitlement to reappear in that carry over subject/paper and shall not be allowed to reappear in that carry over subject/paper in future.

d. In case a candidate fails to qualify a subject (any paper in case of B.Com.) even after appearing in special back examination shall be regulated by semester back rule 5.6 of this ordinance.

ORDINANCE FOR MASTERS DEGREE PROGRAMMES IN THE FACULTIES OF ARTS, SCIENCE AND COMMERCE

1. TWO YEAR FULL TIME PROGRAMME (Four Semesters)

1.1 The Provisions of this Ordinance shall be applicable to all two-years (M.Sc., M.A., M.Com) Programme(s) that exist and/or may be introduced in future.

1.2 A Student shall become eligible for the award of the M.Sc./M.A./M.Com. degree after fulfilling all the requirements prescribed in this Ordinance.

1.3 Not withstanding anything in the regulations, The University shall have right to modify any of the regulations from time to time.

1.4 An academic year shall consist of two semesters inclusive of the period of examination and semester break.

1.5 The Master's Programme will be of two year duration.

1.6 Semester one, two, three and four will have theory paper and practical/viva-voice/ Project Work/ Dissertation (wherever applicable).

1.7 All theory, practical and Project Work /Dissertation, wherever applicable will have 25% marks allotted for Internal Assessment.

1.8 There will be viva-voce, wherever applicable, at the end of last semester and the minimum passing marks will be 36%. In special circumstances, second chance may be allowed with a late fee of Rs. 5,000/- only by the Vice-Chancellor for viva-voce.

Note :- In the Subject like Music, Drawing & Painting, practical papers will be treated as theory paper (s), wherever so prescribed.

2. SCHEME OF EXAMINATION

2.1 English /Hindi Shall be the medium of instruction and examination. However, in the case of Sanskrit the medium of instruction shall be Sanskrit/Hindi.

2.2 At the end of each semester there shall be an examination wherein candidates shall be examined in the course studied by them in that semester. Each semester examination shall be designated as first semester examination. Second Semester Examination, the third semester examination and so on.

3. THE SYSTEM OF EVALUATION SHALL BE AS FOLLOWS :

3.1 The examination for all odd semester will normally be held in December/January and for all even semester in May /June on such dates as may be fixed by the University.

3.2 For each theory paper 25% marks shall be allotted for internal assessment based on classroom examination, seminar, term papers, tests, viva-voce, laboratory work and attendance. The each theory paper, practical exam and Viva-voce (wherever apllicable) 36% marks are required including the internal assessment. Promotion to the next semester shall be admissible if a student passes atleast 50% papers of the subject (to be rounded off to the nearest lower digit say 2.5 becomes 2 and so on).

3.3 The examination for re-appearing in any subject(s) in the odd semester and that of in the even semester shall be held in the respective semesters along with the regular students.

Such Students whose result declaration is delayed for no fault of his/her may attend classes of the next higher semester provisionally at his/her own risk and responsibility subject to his/her passing the concerned semester examination. In case the candidate fails to pass the concerned semester examination as per rules mentioned in this ordinance. his/her attendance and studies in the next higher semester in which he/she was allowed to attend classes provisionally, shall stand cancelled. Such Candidate (s) shall have to repeat the relevant academic semester (higher) in the next academic session along with regular students by paying dues/fees as to be paid by the fresh candidate.

Any student who fails to participate in classes, seminars, term papers, tests, viva-voce, Practical and laboratory work will be debarred from appearing in the next semester examination. His/her Internal Assessment marks will be awarded as and when he/she attends regular classes in the courses in the next applicable semester.

3.4 For each practical 25% marks will be assigned for internal assessment.

3.5 Examinations for courses shall be conducted only in the respective odd and even Semesters as per the scheme of Examination. Regular as well as Ex-Students shall be permitted to appear/reappear in the courses of odd semesters only at the end of odd semesters and for even semester with the even.

3.6 There shall be no provision of improvement. However the candidate may apply for scrutiny within fifteen days from the date of issue of marksheet.

4. PROMOTION CRITERIA

SEMESTER TO SEMESTER : The candidate will be promoted to next semester within the same Part if he/she fulfils the conditions laid down in the above para 3.2. Maximum number of opportunities for if a student fails to appear in the Practical Examination/Viva Voce due to genuine reasons shall be given the opportunity to appear in a special practical examination/viva-voce after depositing a fee of Rs. 2,000/-**.** Permission of the Registrar will be mandatory for such type of examination. Clearing any semester examination shall be 01 (one) (original) + 02 (two) (re-appear).

5. AWARD OF DEGREE

A candidate will be awarded degree at the end of Semester 4 provided he/she has :

5.1 Passed all the theory papers of all semesters (I, II, III & IV) by securing at least 36% in marks in each paper.

5.2 Passed the practical examination by securing at least 36% in marks in all semesters.

5.3 Passed dissertation /viva-voce (if applicable) by securing at least 36% marks.

6. DIVISION CRITERIA

Successful candidates will be classified on the basis of the combined results of Semester I, II, III and IV examinations as follows :

Candidates securing 60% and above : Ist Division

Candidates securing 48% and above but less than 60% : IInd Division

Candidates securing 36% and above but less than 48% : Pass

7. SPAN OF COURSE

No Student shall be admitted as a candidate for the examination for any of the Parts/Semesters after the lapse of four years from the date of admission in Semester I of the degree programme.

8. ATTENDANCE REQUIREMENT

No Student shall be eligible to take examination unless he/she has attended 75% of the total number of lectures, tutorials, seminars and practicals conducted in each semester, during his/her course of study. Under Special circumstances, the Dean/ Principal may condone 5% and the Vice-Chancellor 10% requirement of compulsory attendance.

प्रवेश सम्बन्धी निर्देश

1. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से स्वहस्तलिखित होना चाहिए तथा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर केवल पिता/अभिभावक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण माना जायेगा।
2. ऐसे आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया जायेगा जिनके साथ प्रवेश हेतु आवश्यक संलग्नक नहीं होगे।
3. प्रवेशार्थी को व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय प्रवेश समिति/प्राचार्य के सम्मुख उपस्थिति होना होगा तथा समस्त संलग्नकों की मूल प्रति दिखानी होगी।
4. जिन प्रवेशाथियों ने पिछली परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो उन्हें राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. प्रवेश लेने के वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षो में यदि कोई व्यवधान (गैप) रहा हो तो ऐसे प्रवेशार्थी को उक्त आशय को प्रमाण पत्र रू 10/– के स्टाम्प पेपर पर स्पष्ट कारण सहित मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
6. प्रवेशार्थी का नाम, पिता का नाम प्रवेशार्थियों की जन्म तिथि केवल हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार ही मान्य होगा।
7. इसी महाविद्यालय से पिछली कक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को केवल अंक तालिका की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
8. स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशार्थी विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करेंगे। इस प्रकार चयनित विषय को ही अनुशासक मण्डल तथा पुस्तकालय प्रपत्र पर क्रमानुसार भरें। मुख्य पृष्ठ पर चयनित विषय से अलग भरे जाने की दशा में मुख्य पृष्ठ पर चयनित विषय ही मान्य होगे तथा प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किये जाने पर ही सामान्यतः केवल एक ही विषय में परिवर्तन मान्य होगा।
9. प्रवेशार्थी का प्रवेश प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात एवं अन्तिम तिथि से पूर्व निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त ही प्रवेशार्थियों को चयनित विषय की कक्षा में प्रवेशाधिकार होगा। शुल्क विवरण महाविद्यालय सूचना पट्ट पर देख सकते हैं।
10. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी मुख्य पृष्ठ पर अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी, इतिहास अथवा समाजशास्त्र में से किसी एक के सम्मुख निशान लगायें।
11. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति के विद्यार्थी प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक सप्ताह में छात्रवृत्ति आवेदन पर आवश्यक अभिलेखों सहित कार्यालय में जमा करें। इस हेतु सूचना महाविद्यालय सूचना पट्ट के माध्यम से भी दी जायेगीं।
12. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।
13. विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित निर्देश/नियम का पालन करना आवश्यक होगा, जिसकी सूचना समय–समय पर महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सूचना पट्ट के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से सूचना पट्ट देखते रहना चाहिए।
14. आवेदन प्रपत्र पर प्रवेशार्थी/उसके पिता अथवा अभिभावक द्वारा की गई घोषणा, दी गयी जानकारी /प्रमाण पत्र /अभिलेख के किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर अथवा किसी आवश्यक तथ्य को छुपाये जाने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। तथा ऐसे निरस्त किये गये प्रवेश हेतु शुल्क वापस नही होगा।
15. प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र हेतु पासपोर्ट साइज की तीन रंगीन नवीनतम फोटो तथा एक फोटोग्राफ परिचय पत्र हेतु लानी आवश्यक होगी। 06 माह से अधिक पुरानी फोटो होने अथवा भली प्रकार आवेदन पत्र पर फोटो नहीं चिपकाए जाने की दशा में आवेदन पत्र अपूर्ण माना जाएगा।
16. प्रवेशार्थी को समस्त प्रवेश प्रक्रिया में स्वयं उपस्थिति रहना आवश्यक होगा। प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी तथा शुल्क जमा करने हेतु अधिकृत कर्मचारी के अलावा किसी अन्य को अपना आवेदन पत्र एवं शुल्क इत्यादि न सौंपें।

नोटः– विश्वविद्यालय द्वारा सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि, रिजल्ट घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर।

रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में महाविद्यालय परिसर में रैगिंग को प्रतिबन्धित किया गया है। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि इस सम्बन्ध में उद्धृत किये जा रहे निम्न विनियम को भली–भाँति पढ़कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करें:

विनियम 3. निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएंगे :

क. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आने वाले छात्र/छात्रा का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यहार करना।

ख. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना, जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीडा हो।

ग. किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करें तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीडा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।

घ. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाये।

ड. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरे को दिए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।

च. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।

छ. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट, जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।

ज. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई–मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, स्थापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।

झ. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन–मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पडे। नए अथवा किसी को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

पुस्तकालय के नियम/निर्देश

पुस्तकालय सदस्यता कार्ड पर पुस्तकें प्राप्त करने हेतु निम्न निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा :

1. सदस्यता अहस्तान्तरणीय है, अतः सदस्य को स्वयं उपस्थित होकर पुस्तकें प्राप्ति पर हस्ताक्षर करने होंगे।
2. पुस्तकें महाविद्यालय का पहचान पत्र दिखाये जाने पर ही निर्गत होगी।
3. पुस्तकें सम्बन्धित संकाय एवं कक्षा हेतु निर्धारित किये गये दिन एवं समयानुसार ही निर्गत की जायेंगी। जिसकी पूर्व सूचना, सूचना पट्ट पर प्रसारित की जायेगी तथा उसे नोट कर निर्धारित तिथि पर स्वयं उपस्थित होने का दायित्व स्वयं विद्यार्थियों का होगा।
4. स्नातक स्तर पर अधिकतम 3 तथा परास्नातमक स्तर पर अधिकतम 5 पुस्तकें उपलब्धता के आधार पर निर्गत की जायेगी।
5. परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व तथा प्रवेश पत्र प्राप्त करने हेतु सभी पुस्तकें पुस्तकालय में वापस करनी होगी तथा अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा। किसी भी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा अवधि हेतु पुस्तक का मूल्य जमा कर पढने की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।
6. पुस्तक खो जाने/कटी–फटी/होने की स्थिति में पुस्तकों का पूर्ण मूल्य परीक्षा प्रारम्भ से पूर्व कार्यालय में नगद जमा कर रसीद पुस्तकालय प्रभारी को दिखाये जाने पर अदेय प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
7. एक बार निर्गत पुस्तक को बदलने हेतु केवल निर्धारित तिथि तक एवं समय पर ही बदला जा सकेगा।
8. पुस्तकालय में शान्ति पूर्ण एवं गरिमामयी वातावरण बनाये रखने का दायित्व सदस्य का होगा किसी भी रूप में शान्ति भंग कर गरिमा को क्षति पहॅचाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। किसी नियम/निर्देश में परिवर्तन हेतु प्राचार्य का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ

महाविद्यालय में शैक्षिक गतिविधि के साथ साथ छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत विकास हेतु विभिन्न पाठ्येत्तर योजना/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें प्रमुख योजना/कार्यक्रम निम्न है :

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन0एस0एस0)
2. क्रीड़ा समारोह
3. छात्र संघ
4. सांस्कृतिक परिषद
5. वाचनालय
6. परिषदें
7. यू0जी0सी0 नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर
8. यू0जी0सी0 (NAAC एवं IQAC)
9. यू0जी0सी0 नेट/स्लेट कोचिंग सेन्टर
10. यू0जी0सी0 कैरियर काउंसिलिंग सेन्टर
11. रेड रिबन क्लब
12. नमामि गंगे अभियान
13. कम्प्यूटर लैब
14. एडुसेट
15. परीक्षा
16. छात्रवृत्ति
17. निर्धन छात्र/छात्रा सहायता
18. शिक्षक अभिभावक संघ
19. सेमिनार, गोष्ठी, समारोह आदि
20. प्रयोगशालाओं की स्थापना
21. वेबसाइट एवं ई–मेल
22. बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ
23. वार्षिक पत्रिका 'शैलाभ' का प्रकाशन
24. छात्र/छात्रा शिकायत प्रकोष्ठ
25. जैव विविधता क्लब
26. भूतपूर्व छात्र परिषद
27. महिला सशक्तिकरण

सूचना का अधिकार : महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 प्रभावी है तथा इस हेतु अधिनियम में विहित आवेदन प्रक्रिया अनुसार सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

लोक सूचना अधिकारी
प्राचार्य–राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
चम्पावत
दूरभाष–05965–230462

किसी सूचना के सन्तुष्ट न होने की स्थिति में
प्रथम अपीलीय अधिकारी –
निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड, उच्च शिक्षा निदेशालय,
नवाडखेडा हल्द्वानी 05965–225785

द्वितीय अपीलीय अधिकारी –
सचिव (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Open University-IGNOU) अध्ययन केन्द्र-3708

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

समन्वयक - डॉ0 (प्रोफेसर) जग दीपक जोशी

01. स्नातकोत्तर–हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र
02. सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि (MSW)
03. पी0जी0डी0 कम्प्यूटर एप्लिकेशन (PGDCA)
04. कला एवं वाणिज्य में स्नातक (B.A/B.COM)(arts/com)
05. बैचलर प्रीप्रेटरी पाठ्यक्रम (BPP) इत्यादि।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय (Uttarakhand Open University-UOU) अध्ययन केन्द्र-18029

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चम्पावत में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

समन्वयक - डॉ0 प्रणीता नन्द

01. स्नातकोत्तर – हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र
02. कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक (B.A./B.Sc./B.COM) (arts/science/com))
03. बैचलर प्रीपेटरी पाठ्यक्रम (BPP) इत्यादि ।

महाविद्यालय परिवार

डॉ0 प्रणीता नन्द, प्राचार्य

मो0 : 98970877456

प्राध्यापक वर्ग

कला संकाय

हिन्दी : श्रीमती निरुपमा तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9458940124

समाजशास्त्र : डॉ0 अल्का (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9452755999
डॉ0 कंवलजीत कौर (गेस्ट शिक्षक)
मो0 : 9997259649

अर्थशास्त्र : डॉ0 पीताम्बर दत्त पन्त (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 7349335293
डॉ0 सुशीला आर्या (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 :7253030029

गृहविज्ञान : डॉ0 भूपेन्द्र ओलख (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9837669839

अंग्रेजी : डॉ0 रुचिता भट्ट (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9411113467

राजनीतिशास्त्र : डॉ0 प्रणीता नन्द (एशोसिएट प्रोफेसर)
मो0 : 9897087456
डॉ0 अशोक कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9068660261

भूगोल : श्री सुनील कुमार (गेस्ट शिक्षक)
मो0 : 9058287699

इतिहास : श्री शिखर पाण्डेय (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 7895600179

विज्ञान संकाय

जन्तु विज्ञान : डॉ0 बृजेश्वर प्रसाद ओली
(असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9412042292

गणित : डॉ0 मीना परगांई (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9315240447

वनस्पति विज्ञान : डॉ0 विवेक कुमार (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 7456858594

भौतिक विज्ञान : श्री रजनीश जोशी (असिस्टेंट प्रोफेसर)
मो0 : 9711787003

रसायन विज्ञान : डॉ0 देवकी नन्दन (गेस्ट शिक्षक)
मो0 : 9927157884

वाणिज्य संकाय

डॉ0 जग दीपक जोशी (प्रोफेसर)
मो0 : 9411595110

कार्यालय वर्ग

प्रशासनिक अधिकारी - श्रीमती जानकी विश्वकर्मा, मो0 : 9690145670
प्रयोगशाला सहायक - श्री पंकज गिरी, कु0 मोहनी
प्रयोगशाला परिचर - श्री दीपक चन्द्र भट्ट, श्री कृष्ण राम (आउटसोर्स-पी0आर0डी0)
कार्यालय अनुसेवक - श्री निर्मल कुमार (आउटसोर्स-पी0आर0डी0)

विवरणिका सम्पादन प्रभारी

डॉ0 बृजेश्वर प्रसाद ओली
असिस्टेंट प्रोफेसर - जन्तु विज्ञान

उत्तराखण्ड राज्य गीत

उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत-शत वन्दन अभिनन्दन
दर्शन संस्कृति धर्म साधना (2) श्रम रंजित तेरा कण-कण।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत-शत वन्दन अभिनन्दन॥

गंगा यमुना तेरा आँचल दिव्य हिमालय तेरा शीश
सब धर्मों की छाया तुझ पर चार धाम देते आशीष,
श्री बद्री केदारनाथ हैं (2) कलियर हेमकुण्ड अति पावन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत-शत वन्दन अभिनन्दन॥

अमर शहीदों की धरती है थाती वीर जवानों की
आन्दोलनों की जननी है ये कर्मभूमि बलिदानों की,
फूले-फले तेरा यश वैभव (2) तुझ पर अर्पित है तन-मन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत-शत वन्दन अभिनन्दन॥

रँगीली घाटी शौकों की याँ मडुवा झुँगरा भट अन्न-धन
ताल-थाल बुग्याल, ग्लेशियर, दून तराई भाभर बण,
हाँटि-भाटि लगै गुँजर हैं चाहीं(2) फिरि ले उठास भरी छ मन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत-शत वन्दन अभिनन्दन॥

गौड़ी भैस्यूँन गुँजता गोठयार, ऐपण सज्या हर घर हर द्वार
काम-धाम की धुरी बेटी-ब्वारी, कला प्राण छन शिल्पकार,
बण पुँगड़ा सेरा पन्द्रों मा (2) बाँटणा छन सुख-दुख सँग-सँग।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥

कस्तूरी मृग ब्रह्म कमल है प्यूली-बुराँस घुघुति मोनाल
ढोल नगाड़े दमुआ हुड़का रणसिंघा मुरुली सुर-ताल,
जगर हारुल में थड़या झुमैलो (2) झ्वड़ा छपेली पाण्डव नर्तन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत शत वन्दन अभिनन्दन॥

कुम्भ हरेला बसन्त फूलदेई, उतरैणी कौथिग नन्दा जात।
सुमन केसरी जीतू माधो चन्द्र सिंह वीरों की थात,
जियारानी तीलू रौतेली(2) गौरा पर गर्वित जन-जन।
अभिनन्दन! अभिनन्दन!
उत्तराखण्ड देवभूमि मातृभूमि शत-शत वन्दन अभिनन्दन (3) शत-शत वन्दन अभिनन्दन॥